न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/168** दायर दिनांक **14.06.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामनिवास पुत्र स्व0 दगडूराम जाति ब्राहम्ण निवासी बरडवा हाल निवासी बालाजी का मन्दिर भाटी बास डीडवाना तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना 2. रामपाल पुत्र मूलाराम 3. गोपीकिशन पुत्र मूलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बरडवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, व रेकर्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा—88 R.T.Act. & 136 L.R.Act.

उपस्थितः—

1. श्री जमनलाल जांगिड, अधिवक्ता, वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनांक **07.09.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, मौजा बरडवा के खेत खसरा सं0 327 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा खाता संख्या 56 संवत 2010—2013 व खाता संख्या 47 संवत 2018—2021 में तेजाराम पुत्र डुंगाराम, राधाकिशन पुत्र कालूराम व मुलाराम पुत्र नानुराम जातिगण ब्राहम्ण निवासी बरडवा के नाम दर्ज रहा है कि उक्त तीनों खातेदार एकल पुरूष मंगलाराम के पौत्र है। जिससे उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित सम्पति है एवं उक्त खाते की भूमि में तीनों बराबर के हिस्सेदार काश्तकार थे। जिसमें से जीवणीदेवी वादी की दादी कालूराम की बेटी थी जो विवाह बाद से ही अपने पुत्र दगडुराम को लेकर अपने पीहर बरडवा आ गई थी। जीवणी देवी पुत्री कालूराम पत्नी भूराराम आकोदा (ससुराल) से अपने ग्राम (पीहर) बरडवा में ही रहने लगी और खेत खसरा सं0 327 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा पर काश्त करने लगी। उक्त विवादित खसरा की कब्जा काश्त जीवणी देवी व पुत्र दगडूराम की होने उपरान्त बन्दोबस्त संवत 2022 में प्रतिवादी सं0 02 व 03 क्रमशः रामपाल व गोपीकिशन पुत्र श्री मुलाराम के नाम दर्ज कर दी गई और खसरा सं0 327 को परिवर्तित कर खसरा सं0 184 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा अंकित किया गया है। जो प्रतिवादी सं0 02 व 03 व उनके पिता का कब्जा काश्त व आधिपत्य उक्त विवादित जगह पर कभी नहीं था।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/188
दायर दिनांक 14.06.2017, निर्णय दिनांक 07.09.2017
रामनिवास बनाम तहसीलदार, वगैरा।

मूलाराम पुत्र नानूराम के पुत्र रामपाल व गोपीकिशन संवत 2010 से 2012 से पूर्व ही कमाने खाने हेतु बरडवा ग्राम छोडकर प्रदेश कमाने चले गये समय बन्दोबस्त संवत 2022 में रामपाल व गोपिकिशन ग्राम बरडवा में रहते नहीं थे। उक्त भूमि दगडूराम पुत्र जीवणी देवी ही जोतता था। दगडूराम के स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र रामनिवास वादी के कब्जाकाश्त व अधिपत्य में है। वादी के कब्जा काश्त व आधिपत्य बाबत वादी के दादी जीवणी देवी का भतीजा रामेश्वरलाल ने भी एक ईकरारनामा लिखकर वादी को दिया है जिसमें उक्त भूमि का वास्तविक व उचित हकदार वादी को ही बताया है अन्य कोई भी व्यक्ति खसरा सं0 184 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा में अधिकार नहीं रखता है। खसरा सं0 184 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा पूर्ण रूप से वादी के कब्जा काश्त आधिपत्य में होने से वादी ही एक मात्र खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।

प्रार्थना वादी है कि विवादित खसरा सं0 184 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा मौजा बरडवा की भूमि अविभाजित संयुक्त हिन्दु परिवार की पुश्तैनी सम्पति के वक्त से ही वादी की दादी जीवणी व उसके बाद वादी के पिता दगडुराम व उसके मृत्यूपरान्त वादी के द्वारा कब्जा काश्त आधिपत्य में होने के उपरान्त राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने भुलवंश की गई गिरदावरी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम वक्त बन्दोबस्त खातेदारी प्रदान कर दी जिसकी पैरा नं0 3 व 5 के अनुसार रिकर्ड दुरूस्त कर वादी के नाम खातेदारी घोषित की जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी रामनिवास व अन्य दो गवाह राजेन्द्रसिंह, बजरंगसिंह के शपथ पत्र पेश हुए। बयानों के अनुसार विवादित भूमि पर रामनिवास पुत्र दगडूराम का ही कब्जा काश्त है तथा अन्य किसी का कब्जा काश्त नहीं है। उक्त जमीन पर रामनिवास ही काश्त करता आ रहा है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। तत्सम्बधी विधि का अध्ययन् किया। बहस पर मनन् किया।

अधिवक्त वादी, वादी के वाद को डिक्री किए जाने की इस्तदुआ कर रहे हैं।

वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया होने से वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2017/168
दायर दिनांक 14.06.2017, निर्णय दिनांक 07.09.2017
रामनिवास बनाम तहसीलदार, वगैरा।

अतः वादी द्वारा पेश दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद बरडवा के खसरा सं0 184 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी वादी रामनिवास पुत्र स्व0 दगडुराम के घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी सं0 02 व 03 रामपाल व गोपीकिशन का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **07.09.2017** को सरे इजलास सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 2017 / 168 दायर दिनांक 14.06.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामनिवास पुत्र स्व0 दगडूराम जाति ब्राह्मण निवासी बरडवा हाल निवासी बालाजी का मन्दिर भाटी बास डीडवाना तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना 2. रामपाल पुत्र मूलाराम 3. गोपीकिशन पुत्र मूलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी बरडवा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा–88 R.T.Act. & 136 L.R.Act.

दिनांक 03.08.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी निनजानिब मुद्दई श्री जननलाल जांगिड, अधिवक्ता, वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद बरडवा के खसरा सं0 184 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा की खातेदारी वादी रामनिवास पुत्र स्व0 दगडुराम के घोषित की जाती है तथा प्रतिवादी सं0 02 व 03 रामपाल व गोपीकिशन का नाम हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.........–......... मुबलिंग.........–.......... बाबत.....................–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.09.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
निजान			निजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner